रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228901
CG-DL-E-11082021-228901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2989] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943
No. 2989] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SRAVANA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त 2021

का.आ. 3220(अ).—भारत सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम रेंट ए मोटर साइकिल (संशोधन) स्कीम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम, 1997 के पैरा 1 के, खंड (3) में "जारी किए गए हैं" के पश्चात् "और इस अधिनियम की धारा 66 के उपबंधों द्वारा बैटरी से चलने वाली मोटर साइकिल और मेथेनाल एवं एथेनाल से चलने वाली मोटर साइकिलों को छूट प्राप्त होगी," अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आर टी-11036/104/2021-एमवीएल (भाग 1)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण :मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 375 (अ) तारीख 12 मई, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे तथा का.आ. 257 (अ), तारीख 26 मार्च, 1998 द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2021

S.O. 3220(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Rent a Motor Cycle Scheme, 1997, namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) This scheme may be called the Rent a Motor Cycle (Amendment) Scheme, 2021.

 (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rent a Motor Cycle Scheme, 1997, in paragraph 1, in clause (iii), after the words and figures "section 74 of the Act", the following shall be inserted, namely: -

 "and the battery operated motor cycles and motor cycles driven on methanol and ethanol exempted from the provisions of section 66 of the Act,".

[F. No. RT-11036/104/2021-MVL (Part 1)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O.375 (E), dated the 12th May, 1997 and was last amended *vide* S.O. 257(E), dated the 26th March, 1998.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.11 16:32:46 +05'30'